

नीतासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 305/2023

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. सुमन पत्नी रायसाहब जाति बिश्नोई साकिन 12 के.एस.डी.रासूवाला तहसील संगरिया।
2. आर्यन पुत्र रायसाहब उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुमन पत्नी रायसाहब जाति बिश्नोई साकिन 12 के.एस.डी. रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

-वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र कृष्णलाल
2. रामस्वरूप पुत्र कृष्णलाल
3. राजकमल पुत्र रामस्वरूप
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई धानमण्डी सादूलशहर जरिये शाखा प्रबन्धक तहसीलदार राजस्व संगरिया।

जाति बिश्नोई साकिन 12 केएसडी रासूवाला तहसील संगरिया।
जिला हनुमानगढ़।

यदि राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहानसी श्री संजीव बिश्नोई वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्री भीमसिंह छिम्या वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जाकिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुकदमे अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा	अन्तर का विवरण			
			राजस्व रिकॉर्ड अनुसार	कब्जा काशत अनुसार	कमी / वेंशी	
नाबालिग आर्यन पुत्र रायसाहब सरपरस्त माता सुमन पत्नी रायसाहब 0.253 हि. 2 राजकमल पुत्र रामस्वरूप 0.508 हि. राहिन पीएनबी शाखा नई धान मण्डी सादूलशहर 3 रामस्वरूप पुत्र कृष्णलाल 0.860 हि. राहिन पीएनबी शाखा नई धान मण्डी सादूलशहर 4 सुभाष पुत्र कृष्णलाल 0.100 हि. 5 सुमन पत्नी रायसाहब 0.860 हि. राहिन पीएनबी शाखा नई धान मण्डी सादूलशहर जाति बिश्नोई निवासी सादूलशहर	प.मं. रासूवाला के चक 12 केएसडी का खाता सं. 58/49 खाते का योग 2.581 हेक्. (उक्त विवादित श्रेणी का नहीं है।)	1 सुमन पत्नी रायसाहब 0.860 हि. राहिन पीएनबी शाखा नई धान मण्डी सादूलशहर 2 नाबालिग आर्यन पुत्र रायसाहब सरपरस्त माता सुमन पत्नी रायसाहब 0.204 हि. जाति बिश्नोई निवासी सादूलशहर	प.न. 125/112 मु.न. 19 का कि.न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 9/0.227 मिन, 10/0.227 मिन, प.न. 126/111 मु.न. 13 का कि.न. 1/0.026 मिन, 10/0.078 मिन कुल-1.064 हेक्.	1.113 हेक्.	1.064 हेक्.	-
	सुभाष पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी सादूलशहर	प.न. 126/111 मु.न. 13 का कि.न. 10/0.150 कुल-0.150 हेक्.	0.100 हेक्.	0.150 हेक्.	+ 0.050 हेक्.	
	1 रामस्वरूप पुत्र कृष्णलाल 0.860 हि. राहिन पीएनबी शाखा नई धान मण्डी सादूलशहर 2 राजकमल पुत्र रामस्वरूप 0.507 हि. राहिन पीएनबी शाखा नई धान मण्डी सादूलशहर जाति बिश्नोई निवासी 12 केएसडी	प.न. 126/111 मु.न. 13 का कि.न. 1/0.025 मिन, 10/0.025 मिन, प.न. 125/112 मु.न. 19 का कि.न. 9/0.026 मिन, 10/0.026 मिन, प.न. 11,12,18,19,20/1.265 कुल-1.367 हेक्.	1.368 हेक्.	1.367 हेक्.	-	
			2.581	2.581	0.050	

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/223 दिनांक 20.01.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुक्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

वसूत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.3.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया